निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) में प्रारम्भा से 31 मार्च, 1997 तक स्थापना के लिए सवीकृत कुल 2333 परियोजनाओं में से 513 इकाइयां प्रचालन में थीं, कार्यन्वयन न कि जाने के कारण 1315 स्वीकृतियां रद्द/समाप्त की गई, 160 इकाइयों का बांड समाप्त किया गया और 200 इकाइयां कार्यन्वयन के विभिन्न चरणों में थीं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों में सम्मिलित हैं-विदेशी सहयोग, तकनीकी और विपणन समझौतें और क्रय वापसी प्रबंधों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, बैंक वित्त की व्यवस्था या प्राप्ति में विलम्ब और संवर्धकों की रूचि की कमी आदि। चूंकि, ईपीजेड इकाइयां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कार्य करती हैं इसलिए मांग संरचना और अन्य गतिविधियों में अचानक परिवर्तनों के कारण भी उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है। क्षेत्र-प्रशासन उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करता आ रहा है।

विदेशी व्यापार में वृद्धि

4302. **श्री नागमणि**:

श्री ईशदत्त यादव:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन देशों के साथ भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) इस वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपर्युक्त देशों और अन्य देशों के साथ व्यापार में और अधिक वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जिन मुख्य देशों के साथ भारत के व्यापार में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गई उनका ब्यौरा और डालर के रूप में उक्त वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया हैः-

देश	प्रतिशत वृद्धि	देश	प्रतिशत वृद्धि
बेल्जियम	8.62	हांकांग	1.42
फ्रांस	2.86	मलेशिया	5.98
यूनान	5.51	यू ए ई	4.03
आयरलैंड	26.98	इजरायल	36.38
इटली	5.04	मिस्र	102.74
पुर्तगाल	30.65	दक्षिण अफ्रीका	36.00
यू.के.	4.75	कनाडा	26.58
स्विटजरलैंड	105.82	यू एस ए	0.23
नेपाल	10.74	ब्राजील	18.60
आस्ट्रिया	12.89	रूस	8.99
चीन	34.08	सीआईएस के बाकी देश	34.04
		दक्षिण अमरिका	15.19

(ग) और (घ) बहुपक्षिय और द्विपक्षीय प्रयासों के तहत निर्यात संवर्धन के अनेक प्रयास किए गए हैं। व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सतत् उपायों में हैंः संयुक्त आयोग की बैठकें के दौरान समय-समय पर विचार-विमर्श, द्विपक्षीय रूप से व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और प्रमुख देशों में विशेषीकृत व्यापार मेंलों में भागीदारी।

सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) के तहत द्विपक्षीय व्यापार के संवर्द्धन के लिए आयात शुल्कों को कम किया जा रहा है और गैर-टैरिफ अवरोधों के हटाया जा रहा है। मध्यवर्ती योजनाओं में उभरते व्यापार बाजारों जैसे लैटिन अमरीका, सीआईएस देशों और अफ्रीका के साथ हमारे, व्यापार पर एक विशेष दिशात्मक ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि व्यापार आंकड़ों से नोट किया गया है, भारत का निर्यात लैटिन अमरीका, अफ्रीका और सी आई एस देशों के साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है।

फल और सब्जियां का निर्यात

4303. **श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा**:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से देश से फल और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितने-कितने मूल्य के और कितनी-कितनी मात्रा में फल और सब्जियों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान फल और सब्जियों के निर्यात के संबंध में कतिपय प्रोत्साहनों की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रोतसाहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान निर्यातित फलों और सब्जियों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रू. में)
ताजी सब्जियों		
1995-96	434401	301.19
1996-97	498863	341.16
1997-98	उपलब्ध नहीं	306.34
(2) ताजे फल		
1995-96	109704	229.96
1996-97	217753	241.17
1997-98	उपलब्ध नहीं	259.29

(ग) और (घ) सरकार, फलों और सब्जियों जैसे बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करती आ रही है। बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने और उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिघणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोधनों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीक्टिस) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा ऊष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करम केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म, पकवन/क्योरिंग चेम्बरों और गुणवत्ता परीक्षणा उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ-ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाईयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्र हैंडलिंग प्रणालियों (पेक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात इकाईयों में नवीनतम आई एस ओ 9000/एच ए सी पी उपकरणों की स्थापना सहित उन्नत पैकिजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राहयता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। नष्ट होने वाले उत्पादों की "शेल्फ लाइफ" को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/संशोधित वातावरण संबंधी प्रौद्योकियों जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर अनुसंधान संबंधी उपाय किए जा रहे हैं,

(6) क्रता-विक्रेता बैठकों, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेंलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्द्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना।

(7) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान व पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना;

(8) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, मैकिजिंग, परिवहन आदि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी सलाहकार सेवाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

Commercial Attaches in Diplomatic Missions

4304. SHRI LAJPATRAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the extent to which the Commercial Attaches in our diplomatic missions are successful in the matter of promoting exports to the respective countries;

(b) what are the names of the countries and products covered;

(c) whether there is any plan of Government to coordinate the efforts of our Commercial Attaches with the Ministry of Commerce; and

(d) if so, how soon it is expected to come into effect?